276 cases of murder have been registered during the period January-June, 1992.

(b) to (d) The number of murder cases reported in each of the P.S. in Nangloi, Punjabi Bagh and Paschim Vihar during the months April, May and June, 92; the number of persons involved and who have been arrested; number of persons who have not been arrested and the present position of cases is as under:—

S. No.	Police Station	Month	FIR No	No. of suspects involved & have been arrested	No. of persons who have not been arrested so far.	Present position
1	Punjabi Bagh	April	279	1	—	Worked out
2	Do.	May	312	0	4	Not worked out (accused are absconding)
3	Do.	June	412	1	—	Worked out
4	Paschim Vihar	April	175	1	1	Worked out
5	Paschim Vihar	May	249	1	—	Worked out
6	Do.	May	277	1	—	Worked out
7	Do.	June	311	1	—	Worked out
8	Nangloi	April	200	1	—	Worked out
9	Do.	May	229	2	—	Worked out
10	Do.	May	250	2	—	Worked out
11	Do.	June	284	1	—	Worked out

आतंकवाद से निपटने के संबंध में व्यय

3881. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार कितनी-कितनी राशि व्यय की है ;

(ख) गत वर्ष आतंकवादी क्रियाकलापों में राज्यवार कितने-कितने व्यक्तियों की हत्या हुई थी ;

(ग) आतंकवादी क्रियाकलापों की रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ; और

(घ) आतंकवादी क्रियाकलापों का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क), (ग) और (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय करना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। विभिन्न राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए समन्वित सुविधा उपलब्ध कराने और राज्यों के बीच आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाभप्रद सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए केन्द्रीय स्तर

पर कार्रवाई की जाती है। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए प्रशासनिक और राजनैतिक स्तर पर राज्य सरकारों के निकट सहयोग से कई उपाय शुरू किए गए हैं। केन्द्र सरकार सभी प्रभावित राज्य सरकारों को अतिरिक्त अर्द्ध सैनिक बल, राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण बहतर संचार सुविधाएं इत्यादि देकर सभी संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा खर्च की गई राशि को विनिदिष्ट करना व्यवहारिक विचार नहीं होगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Conviction for illicit liquor tragedy

3882. SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hardly ever any body gets convicted in an illicit liquor tragedy, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that the enquiry reports after liquor tragedies are not published, if so the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the suggestions and recommendations of investigating agencies like the Desai Commission, the Baweja Commission, and others have not been implemented; and

(d) if so, whether Government propose to hold the concerned authorities responsible for such inaction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (b) The registration investigation, detection and prosecution of crimes including those relating to illicit liquor are the responsibility of the concerned State Government/Union Territory Administration.

(c) and (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान

3883. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों के बच्चों की देखभाल के लिए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान के मुख्य कार्य क्या है; और

(ख) अब तक ऐसे कितने केन्द्र खोले गये हैं और प्रत्येक केन्द्र में कितने बच्चों की देख-रेख की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान (नेशनल फाउन्डेशन फार कम्यूनल हारमोनी) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, (i) साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों का शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, इसमें मुख्य रूप से बच्चों की विशेष देखभाल शिक्षा तथा प्रशिक्षण शामिल हैं। तथापि, प्रारम्भ में, इस समय प्रतिष्ठान अपने आपको 24.7.91 के बाद साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ित हुए बच्चो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित रखना, (ii) साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढावा देना और (iii) विभिन्न समुदायों के बीच एकता को मजबूत करना। योजना को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो लाभ प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने के कार्य के विभिन्न स्तरों पर है।

कंटीले तारों की बाड़ में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही

3884. **श्री राजूभाई ए० परमार** : क्या गृह मंत्री मप बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाक सीमा यह कंटीले तारों की बाड़ में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के कारण